OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES DEPARTMENT, RAJASTHAN JAIPUR

No. F.3 (659)/CEWR/SE(W)/F.C./Battisa Nala / 2984 Date: 20/11/2016

Executive Engineer,
W.R. Division
Sirohi.

Sub:- Action Plan for land acquition, rehabilitation and resettlement plan for Battisa Nallah minor irrigation project, Deldar Tehsil, Aburaod, District Sirohi.

Ref: Your e-mail dated 20.11.2016.

In context of the above letter under reference, the approval for the subject cited Action Plan is hereby accorded with the condition that the action on the proposed Action Plan may be taken and timeline be followed strictly. The time line shall be prepared and submitted to this office.

ncl.: Copy of Action Plan.

20/11

(Girish Lodha)
Deputy Secretary & T.A.
Water Resources Department,
Rajasthan, Jaipur

Government of Rajasthan

(WATER RESOURCES DEPARTMENT)

LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT PLAN FOR BATTISA NALLAH MINOR IRRIGATION PROJECT, DELDAR, TEHSIL ABUROAD, DISTRICT – SIROHI

The Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement of land and property coming under submergence, darn line and canal of Battisa nallah Minor Irrigation Project is being processed under the provisions of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and also the Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2016, Revenue (Group–6) Department - Notification by the Government of Rajasthan.

The total land coming under submergence, darn line and canal is 158.02 ha, out of which 91.202 ha is coming forest land and 66.818 ha. is private and revenue land. The step by step procedure adopted for LA, R&R for the affected private land & 84 families is processing under the provisions of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act, 2013, status of various processes under the act & rule are as under :-

1. **Preparation of Social Impact Assessment Study under Section-4**

   The notification under section 4(1) has been issued by Govt. of Rajasthan vide no. 5668-5671 dated 28.09.2016 for social impact assessment study. (Attached at Annexure 'A')

2. **Public Hearing of Social Impact Assessment under Section-5**

   Social impact Assessment has been carried out and public hearing was conducted in Gram Sabha on dated 02.10.2016 as per provisions under sections-5.

3. **Publication of Social Impact Assessment Study under Section-6**

   Publication of social Impact Assessment study has been done in Gram Sabha along with public hearing on dated 02.10.2016 as per provisions of act under section-6.

4. **Appraisal of Social Impact Assessment report by An Expert Group under Section-7**

   As per the provision of section-7 Government of Rajasthan has issued order on dated 28.09.2016 to the District Collector Sirohi for constitution of Expert group for evaluation and appraisal of Social Impact Assessment Study report. District Collector Sirohi has constitutes independent multi disciplinary Expert Group has been constituted vide order dated 18.10.2016 (Annexure 'B')

The independent multi disciplinary Expert Group has appraised the Social Impact Assessment report carried out under section-7 of the Act and the appraisal report submitted on dated 4.11.2016. (Annexure "C")

5. **Examination of proposals for land acquisition and Social Impact Assessment report by appropriate Government under Section-8**

Examination of proposals for land acquisition and Social Impact Assessment report of the project is under process.

6. **Publication of preliminary notification and power of officers thereon under Section-11**

A notification under section-11 of the Act for land to be acquired has been received on dated 10.11.2016 and is under scrutiny at government level and will be issued shortly.

7. After publication of notification under section-11 of the Act, preliminary survey of the land and properties will be carried out under section-12 of the Act.
8. Hearing of the objections will carried out under section-15 of the act, by the land acquisition officer, which has been appointed by the Govt. under section 4(6), under section-15 of the act within a period of 60 days from the date of publication of preliminary notification under section-11 of the Act.
9. Rehabilitation and resettlement survey will be conducted under section-16 of the Act, after publication of the Section-11
10. Collector shall review the draft scheme submitted under section-16 (under section 17 of the Act)
11. Publication of declaration and summary of rehabilitation and resettlement will be made under section-19 of the Act.
12. Land will be marked, measured and planned under the provisions of section-20 of the Act.
13. Notice will be issued to the persons interested by the land acquisition officer as provided under section-21 of the Act.
14. Award for the acquired land will be issued by the competent authority under section-23 of the Act. The package for land acquisition, rehabilitation and resettlement will be decided as under provision of Section31(2) the schedule first "Compensation for land owners", Schedule second as under Sections 31(1), 38(1) and 105(3) "Elements of R&R entitlement for all the affected families (both land owners and the families whose live hood is primary dependent on land acquired) In addition to those provided in the first schedule" and also Schedule third of the Act as under Section 32, 38(1) and 105(3) "Provision of Infrastructural amenities".
15. On issuance of the award, compensation of Land and properties to be displaced, will be paid and package will be implemented.

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड
सिरोही (राजस्थान)

20/11/16

(गिरीश सोनी)
अधीक्षण अभियन्ता एवं प्र.स.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर

(3) (4)

Annexure- "A"

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांकः 74 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 / दिनांकः

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक हैं ।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन,पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा–4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन,पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानो के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता हैं ।

भूमि अर्जन,पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा–4 (6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता हैं ।

विवरण सूची अनुसार

सलंग्नः–सूची

आज्ञा से,

ह0

(गिरीश लोढा)
उप सचिव एवं प्रावै.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर ।

क्रमांकः 74 भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 / 5668 – 5671 दिनांकः 28/9/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन संभाग जोधपुर ।
2–निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री / अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं । कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें ।
3–अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु :–
(क) भूमि अर्जन,पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करें । अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से), सम्बन्धित पंचायत,नगर पालिका या नगर निगम, जिला कलेक्टर, तथा उपखंड मजिस्ट्रेट के और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु ।
4–भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत को प्रेषित कर लेंख कि अधिसूचना का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(गिरीश लोढा)
उप सचिव एवं प्रावै0सहायक,
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान जयपुर ।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-सिरोही
क्र.................दिनांक..........
डी.ए./लेखा/राजस्व/ओ.ए.
स्था. I,II/तकनिकी/स्टोर
का.सहा. 611 28/9/16 28/9

Annexure - B1

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

दिनांक:

क्रमांक: 74 / भू0अ0 / ज0स0 / 2015 /

जिला कलेक्टर,
सिरोही ।

विषयः– भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–7 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मुल्यांकन हेतु बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह के गठन बाबत। **(बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु)**

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम,2016 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का मुल्यांकन अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह से कराया जाना आवश्यक हैं ।

अतः **बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण** हेतु हेतु निम्नानुसार बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता हैं ।

(क) दो गैर–सरकारी सामाजिक विज्ञानीः–सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा नामित ।
(ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगर निगम के दो प्रतिनिधिः–सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच एवं ग्राम सचिव ।
(ग) पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञः– सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा नामित ।
(घ) परियोजना से सम्बन्धित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञः–सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (ङ) परियोजना वन भूमि पर स्थित होने पर जंगलात सचिव के सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश जिला वन संरक्षण अधिकारी द्वारा जारी किये जावेगें ।

संबंधित जिला कलेक्टर (क) अनुसार दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानियो एवं (ग) अनुसार पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञो को नामित कर राज्य सरकार को सूचित करेगें । जिला कलेक्टर द्वारा (क) के क्रम में नामित दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी में से वरिष्ठ को, उक्त विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष मनोनीत किया जावेगा ।

ह0
उप सचिव एवं प्रावै0सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान,जयपुर ।
दिनांक: 28/9/2016

क्रमांक: 74 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 / 5673-5678

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–निजी सचिव माननीय जल संसाधन मंत्री को अर्न्तविभागीय क्रमांकः/1187/M/WR/16 दिनांक 19.09.2016 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में प्रस्तुत हैं ।
2–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर ।
3–निजी सचिव शासन सचिव जल संसाधन विभाग जयपुर ।
4–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन संभाग जोधपुर ।
5–अधिशाषी अभियन्ता,जल संसाधन खण्ड सिरोही ।
6–भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत ।

उप सचिव एवं प्रावै0सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन
राजस्थान,जयपुर ।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड-सिरोही
क्र.......... दिनांक..........
डी.ए./लेखा/राजस्व/ओ.ए.
स्था. I,II/तकनिकी/स्टोर
का.सहा. 6610 29/9/16

Annexure - "B2"

Letter-2015 (T.Chand) New

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

दिनांक :- 18/10/16

क्रमांक / ज.स. / सिरोही / 2016/ 1540

स्वतंत्र बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह गठन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान अनुसार तहसील आबूरोड अन्तर्गत बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना के तहत मुख्य बांध, डूब क्षैत्र एवं बोरो एरिया हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का मूल्याकंन हेतु अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत प्रद्वत प्रावधानों अनुसार निम्नानुसार एक स्वतन्त्र बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह का निम्नानुसार गठन किया जाता हैं :–

1. श्री बिजय कुमार, स्वाईन प्रदान, आबूरोड प्रतिनिधि गैर–सरकारी संस्थान– अध्यक्ष।
2. श्री अनीफ खान., [redacted] प्रदान, आबूरोड प्रतिनिधि गैर–सरकारी संस्थान।
3. क्षैत्रिय वन अधिकारी, आबूरोड।
4. सरपंच संबंधित ग्राम पंचायत।
5. ग्राम सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत
6. भू–राजस्व निरीक्षक संबंधित ग्राम पंचायत – पुनर्व्यस्थापन संबंधी विशेषज्ञ
7. पटवारी संबंधित ग्राम – पुनर्व्यस्थापन संबंधी विशेषज्ञ
8. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही – तकनीकी विशेषज्ञ।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
जिला कलक्टर
सिरोही

दिनांक :- 18/10/16

क्रमांक / ज.स. / सिरोही / 2016/ 1540 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), माऊन्ट आबू।
5. उप वन संरक्षक, वन विभाग, सिरोही।
6. संबंधित समूह सदस्य. .....
7. अधिशाषी अभियन्ता ,जल संसाधन खण्ड, सिरोही।

जिला कलक्टर
सिरोही

Annexure "C"

(5)

बत्तीसा नाला लघु सिंचाई परियोजना देलदर पंचायत देलदर तहसील आबूरोड के निर्माण मे सामाजिक समाधात निर्धारण हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समुह का निष्कर्ष :–

बहुशाखीय विशेषज्ञ समुह द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण रिर्पाट का मुल्यांकन कर परियोजना निर्माण के लिए अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि न्युनतम आवश्यकता के अनुरूप ही है, साथ ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण से किसी स्थानीय बसावट के प्रभावित होने से पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की जायेगी । अतः परियोजना के निर्माण से मिलने वाले प्रस्तावित लाभो को देखते हुए परियोजना की लागत की तुलना मे परियोजना ज्यादा लाभकारी प्रतीत होती हे। तदानुसार बहुशाखीय विशेषज्ञ समुह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाधात निर्धारण रिर्पोट का मुल्यांकन किया जाता है।

श्री विजय कुमार स्वाईन (प्रदान)
अध्यक्ष
गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी
Professional Assistance for Development Action
Choudhary Colony, AbuRoad

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन, सिरोही
परियोजना तकनिकी विशेषज्ञ

अनीक खान (प्रदान)
सदस्य
गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी

भू राजस्व निरीक्षक देलदर
आबूरोड़
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ

क्षेत्रिय वन अधिकारी
आबूरोड़
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ

सहायक अभियन्ता
जल संसाधन, उपखण्ड
स्वरुपगंज

पटवारी (देलदर अ०)
पटवार मण्डल, ओर
आबूरोड़

पटवारी (जायदरा अ०)
पटवार मण्डल, ओर
आबूरोड़

पटवारी (निचलागढ अ०)
पटवार मण्डल, ओर
आबूरोड़

सरपंच ग्राम पंचायत
देलदर (आबूरोड़)

सरपंच ग्राम पंचायत
जायदरा (आबूरोड़)

सरपंच ग्राम पंचायत
निचलागढ (आबूरोड़)

सचिव ग्राम पंचायत
देलदर (आबूरोड़)

सचिव ग्राम पंचायत
जायदरा (आबूरोड़)

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत निचलागढ (आबूरोड़)

चस्पा गवाह
दीपक कुमार
LDC

चस्पा गवाह

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

क्रमांक / राजस्व / 2016 / 482 दिनांक —10—2016

—:: आदेश ::—

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के निर्देशानुसार बत्तीसा नाला हेतु आवाप्त भूमि के विस्थापितों के पुर्नवास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करके पुनर्वास प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता हैं :—

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूरोड
2. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, स्वरूपगंज
3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूरोड
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, स्वरूपगंज
5. तहसीलदार, आबूरोड
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड

उक्त टीम उपयुक्त भूमि का चयन कर पुनर्वास प्लान तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी,
आबूपर्वत